राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	4616/2022 कोमल कुमावत, कनिष्ठ अभियंता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, इंदिरा गांधी नहर मण्डल (भवन), भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राज.)। 3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर मण्डल (भवन), भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राज.)। 4. आशीष लिबात, कनिष्ठ अभियंता जरिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर मण्डल (भवन), भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राज.)।	12.09.2022	श्री हिमांशु जैन, अभिभाषक एवं सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	4618/2022 इतिश्री, कनिष्ठ अभियंता			
3.	4619/2022 भारती दाधीच, कनिष्ठ अभियंता			
4.	4620/2022 मनीषा प्रजापत, कनिष्ठ अभियंता			
5.	4621/2022 मनीषा मीणा, कनिष्ठ अभियंता			
6.	4622/2022 प्रतिभा यादव, कनिष्ठ अभियंता			
7.	2521/2024 भारती दाधीच, प्रतिभा यादव, इतिश्री, मनीषा प्रजापत, कोमल कुमावत एवं नमिता, कनिष्ठ अभियंता	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. विनय वर्धन सिंह, कनिष्ठ अभियंता जरिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर मण्डल (भवन), भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राज.)।	07.08.2024	

आदेश की दिनांक : 01.07.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4616/2022 कोमल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि वरिष्ठता सूची दिनांक 18.08.2022 एवं 21.06.2024 को अपास्त किया जावे और नयी वरिष्ठता सूची जारी कर अपीलार्थीगण का नाम जो आदेश दिनांक 04.03.2022 के द्वारा नियुक्ति

दी गई है, उनके साथ अपीलार्थी की वरिष्ठता जोडी जावे तथा अपीलार्थी की योग्यता का भी सेवाभिलेख में अभिवृद्धि की जावे एवं योग्यता हासिल करने की दिनांक से पदोन्नति एवं समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यालय सहायक अभियंता, नहर उपखण्ड तृतीय, खंड प्रथम, बीसलपुर परियोजना, टोंक में जल संसाधन विभाग में कार्यरत है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.06.2016 को कनिष्ठ अभियंता पद के लिये विज्ञप्ति जारी की गई और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गये, जिसमें अपीलार्थी ने भी आवेदन किया तथा उक्त भर्ती में अपीलार्थी ने भी भाग लिया। चयन प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 09.06.2016 के अनुसार की गई। चयन प्रक्रिया उपरांत नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये गये, जिसमें अपीलार्थी एवं अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिनांक 14.06.2017 को जारी किये गये। अपीलार्थी ने अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मांगी और आदेश दिनांक 27.07.2020 के द्वारा अपीलार्थी को अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में अपीलार्थी ने उक्त डिग्री हासिल की। तदुपरांत अपीलार्थी ने सेवाभिलेख में उक्त योग्यता दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया और इस प्रकार विभाग द्वारा अपीलार्थी के डिप्लोमाधारी से डिग्रीधारी संवर्ग में नाम जोडते हुये संवर्ग परिवर्तित किया गया, जो नियम 6(1)(A) के अंतर्गत किया गया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंता की भर्ती की गई, जिनकी नियुक्ति आदेश दिनांक 04.03.2022 को जारी किये गये। उनका कथन है कि जो अभ्यर्थी वर्ष 2022 में अपीलार्थी से बाद में सेवा में आये, उन्हें वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से ऊपर रखा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विस्तृत अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया। परंतु बिना विचार किये प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंता की दिनांक 18.08.2022 को वरिष्ठता सूची जारी की गई। उक्त वरिष्ठता सूची में उन अभ्यर्थियों के भी नाम जोड दिये गये जो परिवीक्षाधीन हैं। जबकि अपीलार्थी ने निजी प्रत्यर्थी से पूर्व परिवीक्षा काल ही पूर्ण नहीं किया बल्कि डिग्री भी उत्तीर्ण कर ली थी और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता का उचित निर्धारण न करते हुये वरिष्ठता सूची जारी की गई है। जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से अनुभव एवं नियुक्ति तथा योग्यता में

वरिष्ठ है। फिर भी अपीलार्थी की वरिष्ठता का उचित निर्धारण नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि वरिष्ठता सूची दिनांक 18.08.2022 को अपास्त किया जावे और नयी वरिष्ठता सूची जारी कर अपीलार्थीगण का नाम जो आदेश दिनांक 04.03.2022 के द्वारा नियुक्ति दी गई है, उनके साथ अपीलार्थी की वरिष्ठता जोडी जावे तथा अपीलार्थी की योग्यता का भी सेवाभिलेख में अभिवृद्धि की जावे एवं योग्यता हासिल करने की दिनांक से पदोन्नति एवं समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कार्यालय के आदेश दिनांक 14.06.2017 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर की गई और योग्यता अर्जित करने पर कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की दिनांक 31.03.2022 से नियम 1967 के प्रावधानों के तहत कार्यालय के आदेश दिनांक 27.04.2022 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) में संवर्ग परिवर्तित किया गया और नियम 1967 के नियम 6(1)(A) में निम्नलिखित प्रावधान है :–

> *''यदि कोई डिप्लोमाधारक कनिष्ठ अभियंता बी.ई. सिविल/यांत्रिक/विद्युत या ए.एम.आई.ई. की अर्हता प्राप्त कर लेता है तो वह आवेदन पर और रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन सीधी भर्ती के कोटा के विरूद्ध स्थानान्तरण द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्री धारक) के रूप में नियुक्त किए जाने का हकदार होगा किन्तु उस स्थिति में कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारको) में उसकी वरिष्ठता उस रिक्ति के होने की तारीख से, जिसके प्रति ऐसे कनिष्ठ अभियंता को कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारक) के पद के विरूद्ध नियुक्त किया गया है, अवधारित की जाएगी और अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उसके पूर्व अनुभव के एक तिहाई की कनिष्ठ अभियंता के पद पर अनुभव के रूप में संगणना की जाएगी।''*

उक्त नियमों के संवर्ग परिवर्तन करने वाले कनिष्ठ अभियंता की पारस्परिक वरिष्ठता के संदर्भ में रिक्ति दिनांक का उल्लेख किया गया है। सीधी भर्ती वाले डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंता अपेक्षाकृत उच्च स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर इस विभाग में आये हैं, जिनकी रिक्ति तिथि स्पष्ट रूप से दिनांक 01.04.2021 की है या उससे पूर्व की है, जो कि अपीलार्थी की रिक्ति तिथि से निश्चित पहले की है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमानुसार उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 419/2015 चारू जोशी बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 एवं डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 591/2021 राज्य व अन्य बनाम चारू जोशी में पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 प्रस्तुत किया और कथन किया कि अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामले के समान है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने उल जवाब का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता नियम 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हैं और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति/अधिसूचना दिनांक 09.06.2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया उपरांत कनिष्ठ अभियंता के पद के लिये नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये गये, जिसमें अपीलार्थीगण को नियुक्ति आदेश दिनांक 14.06.2017 को जारी किये गये। अपीलार्थीगण द्वारा अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मांगी गई, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया और वर्ष 2021 में अपीलार्थीगण ने उक्त डिग्री हासिल की तथा नियम 1967 के नियम 6(1)(A) के अंतर्गत अपीलार्थीगण की योग्यता सेवाभिलेख में दर्ज करते हुये संवर्ग परिवर्तित किया गया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 18.08.2022 में अपीलार्थीगण की वरिष्ठता का उचित स्थान पर दर्शित नहीं किये जाने का/उचित वरिष्ठता प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति डिप्लोमाधारी संवर्ग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी, तत्पश्चात् विभागीय अनुमति पश्चात् डिग्री उत्तीर्ण पश्चात् अपीलार्थीगण का नियम 1967 के नियम 6(1)(A) के प्रावधानों के अंतर्गत संवर्ग परिवर्तित किया गया है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आदेश दिनांक 27.04.2022 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) में अपीलार्थीगण

का संवर्ग परिवर्तित किया गया। उक्त नियमों में संवर्ग परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *''यदि कोई डिप्लोमाधारक कनिष्ठ अभियंता बी.ई. सिविल/यांत्रिक/विद्युत या ए.एम.आई.ई. की अर्हता प्राप्त कर लेता है तो वह आवेदन पर और रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन सीधी भर्ती के कोटा के विरूद्ध स्थानान्तरण द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्री धारक) के रूप में नियुक्त किए जाने का हकदार होगा किन्तु उस स्थिति में कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारको) में उसकी वरिष्ठता उस रिक्ति के होने की तारीख से, जिसके प्रति ऐसे कनिष्ठ अभियंता को कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारक) के पद के विरूद्ध नियुक्त किया गया है, अवधारित की जाएगी और अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उसके पूर्व अनुभव के एक तिहाई की कनिष्ठ अभियंता के पद पर अनुभव के रूप में संगणना की जाएगी।''*

इसी प्रकार राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के भाग 3 के बिंदु संख्या 6 के बिंदु संख्या (1A) में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *"(1A) If a Diploma Holder Junior Engineer attains the qualification of B.E. (Civil/Mechanical/Electrical), or AMIE, he shall be entitled on his application and subject to availability of vacancy, to be appointed as Junior Engineer (Degree Holder), by transfer against the quota of direct recruitment but in that case his seniority amongst the Junior Engineers (Degree Holders) shall be determined from the date of occurrence of vacancy against which such Junior Engineer has been appointed on the post of Junior Engineer (Degree Holder) and one third of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the puropse of promotion to the next higher post."*

उपरोक्तानुसार हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुये नियमानुसार वरिष्ठता सूची जारी की गई है, जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

जहां तक अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 419/2015 चारू जोशी बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 का प्रश्न है, उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के मामले के तथ्य उक्त मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। इस प्रकार उक्त मामले के प्रकाश में अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार

किया जाना उचित प्रकट नहीं होती हैं। अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती हैं। अपील संख्या 2521/2024 भारती दाधीच, प्रतिभा यादव, इतिश्री, मनीषा प्रजापत, कोमल कुमावत एवं नमिता बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य में जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.08.2024 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

मूल आदेश अपील संख्या 4616/2022 कोमल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष